"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जून 2018 — ज्येष्ठ 24, शक 1940

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–30/दो–गृह/रापुसे/2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल, प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन/आरक्षक संवर्ग सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल, प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन/आरक्षक संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 कहलायेंगे।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार);

   (ख) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 12 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ग) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;

   (घ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ङ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (च) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (छ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ज) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल, प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन/आरक्षक संवर्ग सेवा;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **चयन समिति.**— (1) इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), निम्नलिखित चयन समिति का गठन करेंगे, अर्थात् :—

(एक)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)	—अध्यक्ष
(दो)	एक अधिकारी, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो	—सदस्य
(तीन)	एक अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो	—सदस्य

परन्तु उपरोक्त उल्लिखित दो सदस्यों में से चयन समिति का एक सदस्य, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, चयन समिति हेतु अन्य इकाईयों के समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों पर विचार किया जा सकेगा।

(2) शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभिलेख (रिकार्ड) रखने के प्रयोजन हेतु चयन समिति के अध्यक्ष, अपनी आवश्यकतानुसार सह—समिति का गठन करेंगे। उपरोक्त गठित सह—समिति के सदस्य, मूल्यांकन अभिलेख के प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी होंगे। वांछित मामले में, चयन समिति पुनः माप करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(3) उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उपर्युक्त उल्लिखित चयन समिति से भिन्न चयन समिति गठित कर सकेंगे।

7. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों भरने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती के तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे जिसके लिये परीक्षा शुल्क विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(6) यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, कोई पूर्व सूचना दिये बिना, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(7) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

(1) शारीरिक दक्षता परीक्षा :– विहित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का शारीरिक नापजोख (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच तथा वाणी दोष जैसे कि हकलाहट एवं तुतलाहट, श्रवण क्षमता एवं मुख बधिर को छोड़कर) नियम 9 के उप–नियम (7) के पैरा (क) से (ङ) के अनुसार किया जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल शारीरिक नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही जारी किया जायेगा।

(अ) शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नानुसार होंगी :

स. क्र.	पुरुष हेतु समय सीमा	महिला हेतु समय सीमा
(एक)	1500 मीटर दौड़–05 मिनट 40 सेकेंड	800 मीटर दौड़–03 मिनट 20 सेकेंड

(ब) शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी होगी तथा इस परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे तथा उपरोक्त परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनर्ह माना जायेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(स) यदि कोई अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में अपने प्रदर्षन मूल्यांकन से संतुष्ट न हो तो वह चयन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(द) शारीरिक दक्षता परीक्षा, दिन के समय अर्थात् सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में आयोजित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा रात्रि या कृत्रिम रोशनी में आयोजित नहीं की जायेगी।

(इ) शारीरिक दक्षता परीक्षा के तत्काल अभिलेख (रिकार्ड) रखने, किन्हीं विवादों के निराकरण करने तथा लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र के रूप में उपयोग करने के लिये एक बहुउद्देशीय कार्ड विभाग द्वारा संधारित किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा,–

(1) भाग (अ) आरक्षक (दूरसंचार), आरक्षक (जीडी), आरक्षक (ट्रेडमेन), आरक्षक (सहायक), आरक्षक (डीआर) एवं आरक्षक (चालक) के पद हेतु लिखित परीक्षा :–

(क) आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 02 घंटे की होगी जो बहुविकल्प प्रकार की होगी।

(ख) अर्हकारी लिखित परीक्षा के लिये अनारक्षित/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना होगा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना होगा।

टीप :—लिखित परीक्षा के लिये अर्ह होने हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्नपत्र में वैयक्तिक रुप से 30% अंक अर्जित करना होगा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्नपत्र में वैयक्तिक रुप से 20% अंक अर्जित करना होगा।

(ग) प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा इंक पेन से लिखे जायेंगे। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। उक्त दो परीक्षाओं के प्रश्नपत्र एवं आदर्श उत्तर, उप पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के अधिकारी या उच्चतर श्रेणी के अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन विभागीय अथवा शासन द्वारा नियुक्ति/प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) लिखित परीक्षा के विषय,—

(एक) आरक्षक (दूरसंचार) के पद हेतु,—

(एक) अंग्रेजी में डिक्टेशन और हैण्डराईटिंग टेस्ट—25 अंक

(दो) गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान—75 अंक

(दो) आरक्षक (जीडी), आरक्षक (ट्रेडमेन), आरक्षक (सहायक) एवं आरक्षक (चालक) के लिये— छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 के अंतर्गत विहित पाठ्यक्रम लागू होंगे।

(ङ) आरक्षक (चालक) के पद हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों के पास भारी वाहन का ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है तथा उन्हें उक्त ट्रेड हेतु परीक्षा में उपस्थित होना होगा, जिसके 100 अंक होगें। आरक्षक (ट्रेडमेन) के पद हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों के लिये भी उक्त ट्रेड हेतु परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा, जिसके 100 अंक होंगे। चालक पद के साथ ही साथ ट्रेड के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना होगा तथा लिखित परीक्षा से छूट दी जायेगी।

(च) आरक्षक (दूरसंचार), आरक्षक (जीडी) तथा आरक्षक (डीआर) के पद हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक की पात्रता होगी। शेष नियम, आरक्षक (जीडी) के पद के समान होगी। आरक्षक (डी/आर) के पद की अर्हता आरक्षक (जीडी) के समान होगी।

(छ) बोनस अंक— (1) निम्नलिखित प्रत्येक शीर्ष के लिये पांच बोनस अंक दिये जायेंगे। तथापि, अभ्यर्थी बोनस अंक के रूप में दस अंक से अधिक प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे, भले ही वे नीचे उल्लिखित दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करते हों, अर्थात् :—

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता, जिसका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है) तथा केवल विजेता अभ्यर्थी को ही बोनस अंक की पात्रता होगी;

(ब) मोटर वाहन चालन के लिये "भारी वाहन" चालन लाइसेंस धारक;

(स) एन.सी.सी. "सी" प्रमाणपत्रधारी।

(ज) चयन सूची— (1) कुल अंक 110 होगा तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस के 10 अंक के परिणाम के आधार पर (केवल पात्रतानुसार) चयन सूची तैयार की जायेगी।

(2) सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से, अनारक्षित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को भी इस सूची में शामिल किया जायेगा, जो मेरिट के आधार पर पात्र हों तथा अनारक्षित पदों की सभी अर्हतायें पूरी करते हों। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके संबंधित जाति प्रवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों हेतु पृथक पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(झ) होमगार्ड के लिये 25%, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% तथा महिलाओं के लिये 30% आरक्षण के लिये क्रियान्वयन की प्रक्रिया— उपरोक्त चयन सूची के तैयार किये जाने के पश्चात् होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का खण्डवार क्रियान्वयन लागू किया जायेगा,—

(अ) होमगार्ड (नगर सैनिक)— (1) होमगार्ड के लिये 25% आरक्षण रहेगा।

(2) यदि उपरोक्त सूचियों में 25% आरक्षण देने हेतु होमगार्ड के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ऐसे सभी होमगार्ड के अभ्यर्थियों, जो परीक्षा में उपस्थित हुए हों, के लिये पृथक से मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार पृथक से तैयार की गई सूची से, 25% आरक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या, मेरिट के आधार पर चयनित किये जायेंगे, जिनके नाम अनारक्षित एवं आरक्षित संवर्ग के पूर्वोक्त चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। इस प्रतिस्थापना प्रक्रिया के अंतर्गत अनारक्षित एवं आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे क्रम के गैर—होमगार्ड अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेगे।

टीप :— यदि होमगार्ड के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तो पद, आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे तथा रिक्त पदों को अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ब) भूतपूर्व सैनिक.— (1) भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है, किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जायेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

(2) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी संवर्ग के लिये होगी, जिसमें 10% संख्या नहीं भरी गई हो।

(स) महिला.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। अतः महिलाओं के लिये आरक्षित पदों हेतु पृथक सूची तैयार की जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे और ऐसे श्रेणीवार रिक्त पदों को उक्त श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ञ) चयन सूची का अनुमोदन— (1) परीक्षा के आयोजन के पश्चात् तत्काल चयन सूची तैयार की जायेगी तथा उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) को उनके अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

(2) पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, चयन सूची के परीक्षण उपरान्त अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), अनुमोदन के समय निम्नलिखित परीक्षण करेंगे कि,—

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(ग) कोई अन्य स्व—स्पष्ट चूक, त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

परन्तु यह कि पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), भर्ती को निरस्त करने का आदेश जारी कर सकेंगे यदि वे उपरोक्त उल्लिखित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट न हों। उक्त निरस्तीकरण आदेश पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती का निरस्तीकरण तभी प्रभावी होगा, जब यह स्पष्ट हो जाये कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव

पड़ रहा है। प्रमाण रहित शिकायतों के आधार पर अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जायेगी।

(3) चयन सूची, या तो पूर्णतः अनुमोदित की जायेगी अथवा पूर्णतः निरस्त की जायेगी। उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनःपरीक्षा के लिये आदेश जारी करने हेतु समर्थ नहीं होंगे। अनुमोदन के पूर्व, उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), सभी आवश्यक अभिलेख एवं कच्चा कार्य, उसके परीक्षण के लिये मंगा सकेंगे।

(2) **भाग (ब)** प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) के पद हेतु लिखित परीक्षा,–

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) के तकनीशियन पद हेतु लिखित परीक्षा 200 (प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंक) अंकों की होगी, जिसकी अवधि 04 घंटे की होगी जो बहुविकल्प प्रकार की होगी (प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे)।

(ख) अर्हकारी लिखित परीक्षा हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को दोनों प्रश्नपत्रों में कुल न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना होगा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को दोनों प्रश्नपत्रों में कुल न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना होगा।

टीपः– लिखित परीक्षा के लिये अर्ह होने हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्नपत्र में वैयक्तिक रुप से 30% अंक अर्जित करना होगा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्नपत्र में वैयक्तिक रुप से 20% अंक अर्जित करना होगा।

(ग) प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा इंक पेन से लिखे जायेंगे। लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। उक्त दो परीक्षाओं के प्रश्नपत्र एवं आदर्श उत्तर, उप पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के अधिकारी या उच्चतर श्रेणी के अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन विभागीय अथवा शासन द्वारा नियुक्ति/ प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) लिखित परीक्षा के विषय,–

(अ) प्रथम प्रश्न पत्रः– कुल 100 अंकः – समयावधि 02 घंटे

पाठ्यक्रम– बेसिक इलेक्ट्रिसिटी/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन एवं बेसिक कम्प्यूटर से संबंधित प्रश्न (आरएलसी सर्किट/वाल्व, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, इंटिग्रेटेड सर्किट, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर्स, आसिलेटर, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, वेव प्रोपागेशन, विभिन्न प्रकार के एंटिना, प्राइमरी एवं सेकेण्डरी बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर/जनरेटर, डोमेस्टिक वायरिंग, कम्प्यूटर, इंटरनेट, आदि)।

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र भाग (1).– कुल 50 अंकः

समयावधि–01 घंटे

पाठ्यक्रम– बुद्धिमता, गणित, भौतिकी, रसायन, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनायें।

द्वितीय प्रश्न पत्र भाग (2).– कुल 50 अंकः समयावधि–01 घंटे

अंग्रेजी लेखन प्रश्नपत्रः– पाठ्यक्रमः– व्याकरण (ग्रामर), निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, अंग्रेजी डिक्टेशन।

(ङ) बोनस अंक– (1) निम्नलिखित प्रत्येक शीर्ष के लिये दस बोनस अंक दिये जायेंगे। तथापि, अभ्यर्थी बोनस अंक के रूप में बीस अंक से अधिक प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे, भले ही वे नीचे उल्लिखित दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करते हों, अर्थात्:–

(अ) बीटेक/ बीई/ एमएससी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साईंसः 10 अंक

(ब) एन.सी.सी "सी" प्रमाणपत्रधारीः 10 अंक

(च) चयन सूची– (1) कुल अंक 200 होगा तथा बोनस के 20 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा 200 अंक एवं बोनस के 20 अंक के परिणाम के आधार पर (केवल पात्रतानुसार) चयन सूची तैयार की जायेगी।

(2) सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से, अनारक्षित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को भी इस सूची में शामिल किया जायेगा, जो मेरिट के आधार पर पात्र हों तथा अनारक्षित पदों की सभी अर्हतायें पूरी करते हों। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके संबंधित जाति प्रवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों हेतु पृथक पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(छ) होमगार्ड के लिये 25%, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% तथा महिलाओं के लिये 30% आरक्षण के लिये क्रियान्वयन की प्रक्रिया–उपरोक्त चयन सूची के तैयार किये जाने के पश्चात् होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का खण्डवार क्रियान्वयन लागू किया जायेगा,–

(अ) होमगार्ड (नगर सैनिक)– (1) होमगार्ड के लिये 25% आरक्षण रहेगा।

(2) यदि उपरोक्त सूचियों में 25% आरक्षण देने हेतु होमगार्ड के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ऐसे सभी होमगार्ड के अभ्यर्थियों, जो परीक्षा में उपस्थित हुए हों, के लिये पृथक से मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार पृथक से तैयार की गई सूची से, 25% आरक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या, मेरिट के आधार पर चयनित किये जायेंगे, जिनके नाम अनारक्षित एवं आरक्षित संवर्ग के पूर्वोक्त चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। इस प्रतिस्थापना प्रक्रिया के अंतर्गत अनारक्षित एवं आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे क्रम के गैर–होमगार्ड अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे।

टीप :–यदि होमगार्ड के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो पद, आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे तथा रिक्त पदों को अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ब) भूतपूर्व सैनिक.–(1) भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है, किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जायेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

(2) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी संवर्ग के लिये होगी, जिसमें 10% संख्या नहीं भरी गई हो।

(स) महिला.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। अतः महिलाओं के लिये आरक्षित पदों हेतु पृथक सूची तैयार की जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे और ऐसे श्रेणीवार रिक्त पदों को उक्त श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ज) चयन सूची का अनुमोदन– (1) परीक्षा के आयोजन के पश्चात् तत्काल चयन सूची तैयार की जायेगी तथा उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) को उनके अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

(2) पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, चयन सूची के परीक्षण उपरान्त अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), अनुमोदन के समय निम्नलिखित परीक्षण करेंगे कि,–

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(ग) कोई अन्य स्व–स्पष्ट चूक, त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

परन्तु यह कि पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), भर्ती को निरस्त करने का आदेश जारी कर सकेंगे यदि वे उपरोक्त उल्लिखित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट न हों। उक्त निरस्तीकरण आदेश पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती का निरस्तीकरण तभी प्रभावी होगा, जब यह स्पष्ट हो जाये कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रमाण रहित शिकायतों के आधार पर अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जायेगी।

(3) चयन सूची, या तो पूर्णतः अनुमोदित की जायेगी अथवा पूर्णतः निरस्त की जायेगी। उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनःपरीक्षा के लिये आदेश जारी करने हेतु समर्थ नहीं होंगे। अनुमोदन के पूर्व, उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), सभी आवश्यक अभिलेख एवं कच्चा कार्य, उसके परीक्षण के लिये मंगा सकेंगे।

8. **सेवा में नियुक्ति.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी तथा कोई भी नियुक्ति नियम 7 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं। नियुक्ति आदेश, चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण, नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व संचालित/पूर्ण किया जायेगा। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप न होने और शारीरिक स्वस्थता विहित मापदण्ड के अनुसार होने की पुष्टि के पश्चात् ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा तथा अभ्यर्थी को संबंधित इकाई में आमद देने का आदेश दिया जायेगा।

(2) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, जिलों/इकाइयों के रोस्टर के संबंध में लागू होंगे।

9. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी होना चाहिये।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

(3) **आयु**–(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) आयु में छूट के संबंध में क्रीड़ा नीति के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिये अधिकतम 8 वर्ष के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, अर्थात् उस नगर सैनिक/नॉन कमीशंड अधिकारी, जिसने एक वर्ष की सेवा कर ली हो उसे अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जायेगी, जिसने दो वर्ष की सेवा कर ली हो उसे कुल दो वर्ष की और ऐसे ही, उनके द्वारा पूर्ण की गई सेवा अवधि के अनुसार छूट दी जायेगी।

(ञ) आयु में छूट के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र के उपबंध भी लागू होंगे।

टीप– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 9 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(4) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी।

(5) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(6) शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सीय आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मचारी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

स्पष्टीकरण.– उच्चतर आयु सीमा में छूट का लाभ, संविदा पर या शासन के मानदेय आधार पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवकों या कर्मचारियों या शिक्षा कर्मियों या पंचायत कर्मियों को लागू नहीं होगा।

(7) **शारीरिक अर्हताः**– अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें होनी चाहिए, अर्थात्:–

(क) **ऊंचाई**–

(एक) 168 सेमी या उससे अधिक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनरक्षित वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये);

(दो) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 158 सेमी या उससे अधिक;

(तीन) 153 सेमी या उससे अधिक (राजस्व जिले बस्तर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोण्डागांव, सुकमा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर एवं बलरामपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये);

(चार) 153 सेमी या उससे अधिक (सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ख) **सीना** :–

(एक) बिना फुलाये 81 सेमी (अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

(दो) बिना फुलाये 76 सेंमी (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)। अभ्यर्थी के सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेमी का अन्तर होना चाहिए तथा इस संदर्भ में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। (महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट होगी।)

टीप :– (1) विशेष मामलों में, खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन शारीरिक मापदण्ड के संबंध में केवल पुलिस महानिदेशक द्वारा ही छूट दी जा सकेगी।

(2) ऊंचाई एवं सीने की माप के लिए, भर्ती अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) नहीं होना चाहिये।

(घ) अभ्यर्थी में फ्लेट फुट या नॉकनी नहीं होना चाहिये। नॉकनी एवं फ्लेट फुट संबंधी अर्हतायें, समस्त पदों के लिए अनिवार्य है तथा सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सलाह ले सकेंगे। अभ्यर्थी को

आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। आँखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आँख की 6/9 तथा दूसरी आँख की बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों के बीच भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये।

(ड.) अभ्यर्थी में कोई वाणीदोष जैसे कि हकलाहट एवं तोतलापन नही होना चाहिये। अभ्यर्थी की सुनने की क्षमता उत्तम होनी चाहिये तथा मूक–बधिर नहीं होना चाहिये।

(8) **शैक्षणिक अर्हताएं**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

10. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

12. **प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती.**– (1) भर्ती कार्यक्रम, वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। पद में भर्ती के लिये विज्ञापन पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायेगा। राज्य में कोई विशिष्ट कानून तथा आदेश व्यवस्था अथवा कोई अन्य समस्या होने की स्थिति में, पुलिस मुख्यालय, भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने की तारीख को पदों की वास्तविक रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन जारी किया जायेगा। जनवरी में होने वाली भर्ती के लिये, 30 अक्टूबर की स्थिति में रिक्तियों की जानकारी, नवम्बर में मंगायी जायेगी। दूरस्थ स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारी के सुगम प्रसार के प्रयोजन के लिये, रिक्तियों की जानकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, तहसील एवं ब्लॉक कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा किये जायेंगे।

(3) केवल अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ही शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

(4) अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने की दृष्टि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नियम 13 के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जायेगा।

13. **समिति द्वारा अनुशंसा किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की एक सूची मेरिट क्रम में, तैयार करेगी जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) समिति द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, इस प्रकार चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष या आगामी चयन प्रक्रिया के प्रारंभ होने तक, इसमें जो भी पहले हो, की होगी। इस अवधि के दौरान, नवीन पदों की स्वीकृति या पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या संवर्ग परिवर्तन, सेवा समाप्ति या अन्य कारणों से हुए रिक्त पदों पर भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम मेरिट सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां, पदों की उपलब्धता के अन्तर्गत रहते हुए मेरिट सूची से की जाएगी, किन्तु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उच्चतर आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक दोनों ही समान हों, तो आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

(3) चयन सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने के तिथि से एक वर्ष की होगी।

15. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल है तथा जिसे सेवा में सीधे भर्ती किया गया है, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी, विनिर्दिष्ट स्थान तथा दिनांक पर उपस्थित नहीं होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से ऐसे अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रस्ताव का आदेश जारी कर सकेगा, जिसका नाम मेरिट सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है।

(2) अभ्यर्थी को, संबंधित इकाई में आमद देने के पूर्व, स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।

(3) विहित प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में, नियुक्ति के पश्चात् विहित प्रशिक्षण दिया जायेगा। विहित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर यथा विहित मानदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में, प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

16. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन–नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

17. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण.– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार की जायेगी।

(3) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति/ पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

18. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 17 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा, जिसमें मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता पर सम्यक् रूप से ध्यान रखा जायेगा।

(3) सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

19. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची के साथ–साथ उससे प्राप्त हुए दस्तावेजों पर विचार करेगा, यदि उसे यह प्रतीत होता हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह प्रस्तावित परिवर्तन से समिति को संसूचित करेंगे तथा समिति की टिप्पणी, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे उपांतरण सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम

(2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची साधारणतः तब तक वैध रहेगी जब तक कि नियम 18 के उप–नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं की जाती, किन्तु इसकी वैधता, इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कुल कालावधि के बाद किसी भी दशा में नही बढ़ायी जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों:
परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन मास से अधिक के लिए संभाव्य नहीं है।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

21. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के.माथुर, उप –सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स (लेवल)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन	151	तृतीय श्रेणी	5
2.	आरक्षक (दूरसंचार)	551	तृतीय श्रेणी	4
3.	आरक्षक (चालक)	08	तृतीय श्रेणी	4
4.	आरक्षक (ट्रेडमेन)	30	तृतीय श्रेणी	4
5.	आरक्षक (सहायक)	01	तृतीय श्रेणी	4
6.	आरक्षक (जीडी)	15	तृतीय श्रेणी	4
7.	आरक्षक (डी/आर)	05	तृतीय श्रेणी	4

अनुसूची–दो
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 7(1) (क) देखिये]	सेवा के स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7(1) (ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 7(1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन	151	50%	50%	–	
2.	आरक्षक (दूरसंचार)	551	100%	–	–	
3.	आरक्षक (चालक)	08	100%	–	–	
4.	आरक्षक (ट्रेडमेन)	30	100%	–	–	
5.	आरक्षक (सहायक)	01	100%	–	–	
6.	आरक्षक (जीडी)	15	100%	–	–	
7.	आरक्षक (डी/आर)	05	100%	–	–	

अनुसूची–तीन
(नियम 9 देखिये)

स. क्र.	सेवा / पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) तकनीशियन	18 वर्ष	28 वर्ष	10+2 या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं गणित के साथ) उत्तीर्ण होना चाहिये साथ ही राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियो तथा टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स में दो वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र अथवा केन्द्र सरकार या राज्य पुलिस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बेसिक रेडियो तकनीशियन ग्रेड तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये।	
2.	आरक्षक (दूरसंचार)	18 वर्ष	28 वर्ष	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं गणित के साथ) उत्तीर्ण होना चाहिये।	
3.	आरक्षक (चालक)	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 प्रणाली में दसवीं कक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये)। (2) भारी वाहन चालन हेतु वैध ड्रायविंग लाईसेंस होना चाहिये।	
4.	आरक्षक (ट्रेडमेन)	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 प्रणाली में दसवीं कक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये)। (2) संबंधित ट्रेड में दक्षता होना चाहिये।	
5.	आरक्षक (सहायक)	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 प्रणाली में दसवीं कक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये)। (2) संबंधित ट्रेड में दक्षता होना चाहिये।	
6.	आरक्षक (जीडी)	18 वर्ष	28 वर्ष	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 प्रणाली में दसवीं कक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये)।	
7.	आरक्षक (डी / आर)	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय से 10+2 प्रणाली में दसवीं कक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये)। (2) संबंधित ट्रेड में दक्षता होना चाहिये।	

टीपः– ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 17 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आरक्षक (दूरसंचार) ऑपरेटर पुरुष/ महिला	प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) ऑपरेटर	1. विचारण वर्ष की 1 जनवरी को नियुक्ति की दिनांक से छः वर्ष की सेवा पूर्ण होना चाहिये। 2. पुलिस (दूरसंचार) प्रशिक्षण विद्यालय से 03 माह का आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। 3. पुलिस (दूरसंचार) प्रशिक्षण विद्यालय से 06 माह का आधारभूत रेडियो ऑपरेटिंग (बीआरओ–तीन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। 4. उसके/उसकी सेवा काल में दो से अधिक बड़ी सजा न मिली हो। 5. सेवा के विगत 05 वर्षों के दौरान, छोटी सजाएं ईनाम से अधिक नहीं होना चाहिये।	1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) —अध्यक्ष 2. अन्य दो राजपत्रित अधिकारी, जिसमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिये। (एडीजी/आईजीपी/डीआईजी द्वारा नामांकित) —सदस्य.	
2.	आरक्षक (दूरसंचार) ऑपरेटर पुरुष/ महिला	प्रधान आरक्षक (दूरसंचार) ऑपरेटर	1. विचारण वर्ष की 1 जनवरी को नियुक्ति की दिनांक से छः वर्ष की सेवा पूर्ण होना चाहिये। 2. पुलिस (दूरसंचार) प्रशिक्षण विद्यालय से 03 माह का आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। 3. पुलिस (दूरसंचार) प्रशिक्षण विद्यालय से 06 माह का आधारभूत रेडियो ऑपरेटिंग (बीआरओ–तीन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। 4. पुलिस (दूरसंचार) प्रशिक्षण विद्यालय से 06 माह का आधारभूत रेडियो तकनीशियन (बीआरओ–तीन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। 5. उसके/उसकी सेवा काल में दो से अधिक बड़ी सजा न मिली हो। 6. सेवा के विगत 05 वर्षों के दौरान छोटी सजाएं ईनाम से अधिक नहीं होना चाहिये।	—तदैव—	

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2018

क्रमांक एफ 2–30/दो–गृह/रापुसे/2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08–06–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के.माथुर, उप–सचिव.

NOTIFICATION
Naya Raipur, the 8th June 2018

No. F 2-30/Two Home/S.P.S./2015. — In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules in relation to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Police Telecom Force, Head Constable (Telecom) Technician/ Constable Cadre Services, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement**. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Police Telecom Force, Head Constable (Telecom) Technician/ Constable Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the Assistant Inspector General of Police (Telecom);

(b) "Examination" means Competitive examination conducted for the recruitment under the rule 12 of these rules;

(c) "First stage" means Physical Measurement and Physical Efficiency Test;

(d) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(h) "Second stage" means Written Examination;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Police Telecom Force, Head Constable (Telecom) Technician/Constable Cadre Services;

(j) "State" means State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.** - The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Selection Committee. -** (1) Deputy Inspector General of Police (Telecom) shall constitute the following selection committee for the purpose of direct recruitment under these rules, namely :-

(i)	Assistant Inspector General of Police (Telecom)	-Chairman
(ii)	An officer not below the rank of Additional Superintendent of Police	-Member
(iii)	An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police	-Member

Provided that, out of the above mentioned two members, one member of selection committee shall be from Scheduled Castes or Scheduled Tribes category. In case of non-availability of the officers at the level of Additional Superintendent/ Deputy Superintendent of Police then the equivalent rank officer of other units may be considered for Selection Committee.

(2) Chairman of Selection Committee may constitute sub-committees in accordance with their requirement for the purpose of keeping records of the Physical Measurement and Physical Efficiency Test. The members of the above formed sub-committee shall be responsible for authenticity of the records of valuation. In desired cases, Selection Committee shall be free to remeasure.

(3) Deputy Inspector General of Police (Telecom) can constitute a Selection Committee other than above mentioned Selection Committee by general or special order.

7. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by the direct recruitment through Selection in Competitive Examination conducted by the Selection Committee;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Online applications shall be invited for the candidates desiring for recruitment, examination fees of which will be decided by the Department.

(6) If it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated without giving any prior intimation by the Appointing Authority.

(7) The Selection Procedure for Competitive Examination under clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows, namely :-

(1) **Physical Efficiency Test**:- The physical qualification of the candidates (except the eye vision test and other related tests of eyes, and speech defects such as stammering and stuttering, hearing capacity, and deaf-mute), who fulfils the prescribed qualification shall be conducted as per para (a) to (e) of sub-rule (7) of rule 9. The permission letter for appearing into physical efficiency test will be issued to only those candidates who have succeeded in the physical measurement.

(A) Physical Efficiency Test shall be distributed as under:

S No.	Time Limit for Male	Time Limit for Female
(i)	1500 meter Race – 5 minutes 40 seconds	800 meter race – 3 minutes 20 seconds

(B) The Physical Efficiency Test shall be qualifying in nature and no marks will be awarded for the test and the candidate who fails to qualify in the above test shall be treated as disqualified in this level and shall not be permitted to appear in the written test.

(C) If any candidate is not satisfied with his performance valuation in the said test, he can appeal before the Selection Committee which will address the issue immediately. The decision of the Selection Committee in this regard shall be final.

(D) The Physical Efficiency Test shall be conducted during day time i.e. between sunrise and sunset and in sufficient sunlight. The Physical Efficiency Test shall not be conducted during night or in artificial light.

(E) A sample multipurpose card shall be maintained by the department to keep the immediate record of Physical Efficiency Test, to remove any dispute and serve as admission card for written examination.

(2) Written Examination,-

(1) **PART (A)** Written Examination for the post of Constable (Telecom), Constable (GD), Constable (Tradesman), Constable (Assistant), Constable (DR) and Constable (Driver):-

(a) Applicants shall be allowed to take part in the written test on the basis of result of the Physical Efficiency Test. The written examination shall be of 100 marks, which shall be in objective pattern of 02 hours duration.

(b) For Qualifying Written Examination Unreserved/Other Backward Classes candidates has to secure minimum 50% marks aggregate of both papers and Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates has to secure minimum 40% marks aggregate of both papers.

Note:- Unreserved/Other Backward Classes candidates should score 30% marks in both First and Second Paper individually and Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates should score 20% marks in both First and Second paper individually for qualifying for written examination.

(a) The answers to the questions shall be written by the candidates by ink pen. The evaluation officer of the answer sheet of written test shall sign answer sheets. The question paper and the model answer for said two tests shall be prepared by the officer of the rank of Deputy Inspector General of Police or Higher Rank Officer. The written test may be conducted by Department or by the appointed/authorized agency of the Government.

(d) Written examination subjects,-

(i) For Constable (Telecom) Post,- (One) English dictation and Hand writing test - 25 Number
(Two) Mathematics, General Science and General knowledge- 75 Number

(ii) For Constable (GD), Constable (Tradesman), Constable (Assistant) and Constable (Driver)- syllabus prescribed under the Chhattisgarh Police Executive Force Constable (Recruitment and conditions of service) Rules, 2007 shall be applicable.

(e) It is mandatory for the candidates appearing for the post of Constable (Driver) to have the heavy vehicle driving license and they have to appear in the test for said trade, which shall be of 100 marks. It is also mandatory for the candidates appearing for the post of Constable (Trade man) to appear in the test for said trade, which shall be of 100 marks. The Candidates of trade as well as driver post shall be have to appear for Physical Efficiency Test and shall be the exempted from written test.

(f) Candidates appearing for the post of Constable (Telecom), Constable (GD) and Constable (DR) shall be eligible for the bonus marks. The remaining rules shall be same as that for the post of constable (GD). Qualification of constable (D/R) post will be the same that of constable(GD).

(g) Bonus Marks- (1) Five Bonus Marks each shall be given for the following heads. However candidate shall not be eligible to get more than ten marks as bonus marks even if he possesses more than two below mentioned special eligibility, namely:-

(A) Proficiency in National level Sports (National Level Sports competition, which are directly organized by the all India Sports Association of any sport) and only the winner candidate shall be entitled for bonus marks;

(B) The "Heavy Vehicle" driving license holder for motor driving;

(C) N.C.C "C" certificate holder.

(h) Selection List- (1) Total marks will be 110 and 10 marks of Bonus will be calculated separately. The selection list will be prepared on the basis of result of written examination of 100 marks and bonus marks of 10 marks(Only on entitlement).

(2) At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories, shall be prepared, The candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall also be included in this list, who are entitled on the merit basis and fulfill all the qualifications of unreserved posts. Separate lists shall be prepared for advertised reserved posts from the remaining candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidate for their respective caste category.

(i) Implementation Procedure for 25% reservation for Home Guards, 10% for ex-servicemen and 30% for women –After the preparation of above selection list, block implementation of reservation for home guards and ex-serviceman shall be made applicable,-

(A) Home Guards.- (1) There shall be 25% reservation for the Home Guards.

(2) If sufficient numbers of Home Guard candidates are not available for giving 25% reservation in the above list then the merit list for all Home Guards candidates, who appeared in the examination shall be prepared separately. From the list so separately prepared, required number of candidates to fulfill the requirement of 25% reservation shall be shortlisted on merit basis, whose name shall be included in the aforesaid selection list of unreserved and reserved category. Under this replacement procedure non-

home guard candidates belonging to lower sequence in merit in unreserved and reserved lists shall automatically be discarded from these lists.

Note: - If the eligible candidates of Home Guards are not available than the post shall not be carry forwarded for coming years and the vacant posts shall be filled with the other available candidates.

(B) **Ex-Serviceman.**-(1) There is 10 percent direct reservation of ex-servicemen but due to the category wise reservation of ex-servicemen, their merit list shall be prepared caste-category wise and the calculation of number of 10 percent will also be caste category wise.

(2) The above mentioned replacement procedure will be done only for those categories, in which 10% number is not fulfilled.

(C) **Women.**- There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. Hence the separate lists will be prepared for reserved posts for women and in case of non availability of eligible candidates, the vacant posts will not be carry forwarded for coming years and the such category wise vacant post will be filled by the male candidates of said category.

(j) Approval of Selection List:- (1) The selection list will be prepared immediately after the conduct of examination and the same will be sent to Deputy Inspector General of Police (Telecom) for his approval with entire requisite records and as per the schedule prepared by the Police Headquarters.

(2) Deputy Inspector General of Police (Telecom), as per schedule prescribed by Police Headquarters, will issue approval order after examination of selection list. The Deputy Inspector General of Police (Telecom) will do the following examination at the time as approval,-

(A) Is the recruitment has been done as per rules?

(B) Are the rules related to reservation followed in recruitment?

(C) Is there any other self explanatory omission, error or negligence being observed?

Provided that, Deputy Inspector General of Police (Telecom) may issue an order to cancel the recruitment if he is not satisfied with the answer of any of the above mentioned questions. The said cancellation order will also be endorsed to Police Headquarters. The cancellation of recruitment on the basis of arithmetical error will be made effective only when it is established that it is having adverse effect in the selection of candidates. The recruitment will not be cancelled on the basis of complaints without evidences or on the basis of public gossip.

(3) The selection list will be fully approved or fully disapproved. Deputy Inspector General of Police (Telecom) will not be able to issue order for revaluation or re-examination. Prior to approval, Deputy Inspector General of Police (Telecom) may call for all requisite records and rough work, for its examination.

(2) **PART (B)** Written Examination for the post of Head Constable (Telecom),-

(a) Applicants shall be allowed to take part in the written test on the basis of result of the Physical Efficiency Test. For Technical post of Head Constable (Telecom), the written examination shall be of 200 marks (First Question Paper 100 marks and second question paper 100 marks), which shall be in objective pattern of 04 hours duration (First Question Paper of 2 hours duration and second question paper of 2 hours duration).

(b) For Qualifying Written Examination Unreserved/Other Backward Classes candidates has to secure minimum 50% marks aggregate of both papers and Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates has to secure minimum 40% marks aggregate of both papers.

Note:- Unreserved/Other Backward Classes candidates should score 30% marks in both First and Second Paper individually and Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates should score 20% marks in both First and Second paper individually for qualifying for written examination.

(c) The answers to the questions shall be written by the candidates by ink pen. The evaluation officer of the answer sheet of written test shall sign answer sheets. The question paper and the model answer for said two tests shall be prepared by the officer of the rank of Deputy Inspector General of Police or Higher Rank Officer. The written test may be conducted by Department or by the appointed/authorized agency of the Government.

(d) Written examination subjects,-

(A) First Paper :-Total numbers 100: Time Duration – 02 hours

Syllabus–Basic Electricity/Electronics and Tele-communication and basic computer related questions like (RLC circuit/Valve, Semi conductor, Logic Gates, Integrated Circuits, Amplifier, Rectifiers, Oscillator, Modulation Demodulation, Wave Propagation, different types of Antenna, Primary and Secondary Batteries, Electric Motor/ Generator, Domestic wiring, Computer, Internet, etc.).

(B) Second Paper Part (1).-Total numbers 50:

Time Duration – 01 Hour

Syllabus–Reasoning, Mathematics, Physics, Chemistry, General Knowledge and Current Affairs.

Second Paper Part (2).-Total numbers 50:

Time Duration– 01 Hour

English Writing Paper:-**Syllabus** :- Grammar, Essay Writing, Letter Writing, Unseen Passage, English Dictation.

(e) Bonus Marks- (1) Ten Bonus Marks each shall be given for the following heads. However candidate shall not be eligible to get more than Twenty marks as bonus marks even if he possesses more than two below mentioned special eligibility, namely :-

(A) B.Tech/BE/MSc/Electronics and Communication/ Electrical /Computer Science: 10 Marks

(B) N.C.C "C" certificate holder : 10 Marks

(f) Selection List- (1) Total marks shall be 200 and 20 marks of Bonus will be calculated separately. The selection list will be prepared on the basis of result of written examination of 200 marks and bonus marks of 20 marks (Only on entitlement).

(2) At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories, shall be prepared, The candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall also be included in this list, who are entitled on the merit basis and fulfill all the qualifications of unreserved posts. Separate lists shall be prepared for advertised reserved posts from the remaining candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidate for their respective caste category.

(g) Implementation Procedure for 25% reservation for Home Guards, 10% for ex-servicemen and 30% for women – After the preparation of above selection list, block implementation of reservation for home guards and ex-serviceman shall be made applicable,-

(A) Home Guards- (1) There shall be 25% reservation for the Home Guards.

(2) If sufficient numbers of Home Guard candidates are not available for giving 25% reservation in the above list then the merit list for all Home Guards candidates, who appeared in the examination shall be prepared separately. From the list so separately prepared, required number of candidates to fulfill the requirement of 25% reservation shall be shortlisted on merit basis, whose name shall be included in the aforesaid selection list of unreserved and reserved category. Under this replacement procedure non-home guard candidates belonging to lower sequence in merit in unreserved and reserved lists shall automatically be discarded from these lists.

Note: - If the eligible candidates of Home Guards are not available than the post shall not be carry forwarded for coming years and the vacant posts shall be filled with the other available candidates.

(B) Ex-Serviceman-(1) There is 10 percent direct reservation of ex-servicemen but due to the category wise reservation of ex-servicemen, their merit list shall be prepared caste-category wise and the calculation of number of 10 percent will also be caste category wise.

(2) The above mentioned replacement procedure will be done only for those categories, in which 10% number is not filled.

(C) Women- There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. Hence the separate lists will be prepared for reserved posts for women and in case of non availability of eligible candidates, the vacant posts will not be carry forwarded for coming years and the such category wise vacant post will be filled by the male candidates of said category.

(h) Approval of Selection List: - (1) The selection list will be prepared immediately after the conduct of examination and the same will be sent to Deputy Inspector General of Police (Telecom) for his approval with entire requisite records and as per the schedule prepared by the Police Headquarters.

(2) Deputy Inspector General of Police (Telecom), as per schedule prescribed by Police Headquarters, will issue approval order after examination of selection list. The Deputy Inspector General of Police (Telecom) will do the following examination at the time as approval, -

(A) Is the recruitment has been done as per rules?

(B) Are the rules related to reservation followed in recruitment?

(C) Is there any other self explanatory omission, error or negligence being observed?

Provided that, Deputy Inspector General of Police (Telecom) may issue an order to cancel the recruitment if he is not satisfied with the answer of any of the above mentioned questions. The said cancellation order will also be endorsed to Police Headquarters. The cancellation of recruitment on the basis of arithmetical error will be made effective only when it is established that it is having adverse effect in the selection of candidates. The recruitment will not be cancelled on the basis of complaints without evidences or on the basis of public gossip.

(3) The selection list will be fully approved or fully disapproved. Deputy Inspector General of Police (Telecom) will not be able to issue order for revaluation or re-examination. Prior to approval, Deputy Inspector General of Police (Telecom) may call for all requisite records and rough work, for its examination.

8. **Appointment in service**.- (1) All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 7. The appointment order shall be issued in seniority order in selection list. The character verification and medical examination of the candidates will be conducted/completed prior to the issue of appointment order. An appointment order to the candidates shall be issued only after confirming about the no adverse remarks in Character Verification and confirming physical fitness as per prescribed measurements and candidate shall be ordered to report to the concerning unit.

(2) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable with regard to roster of districts/units.

9. **Conditions of eligibility for Direct Recruitment**.- In order to be eligible for direct recruitment/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) The Applicant must be bonafide resident of State of Chhattisgarh.

(2) The candidate should have good conduct and good past record.

(3) **Age**-(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 36 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 36 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(A) Completion of short term engagement;

(B) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(i) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(ii) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(iii) Ex-Servicemen invalidated out of service due to disability;

(iv) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The provisions of circulars issued from time to time by General Administration Department under sports policy in regard to relaxation in age will be followed;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 36 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) Relaxation in age limit will be made for a maximum of within 8 years for the duration of service rendered by volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home-Guard but their age should not exceed by 36 years in any case. The Volunteer Home guards and non-commissioned officers of Home Guards should be given relaxation in upper age limit for the appointment in government service, equivalent to total years of duration of service rendered by them in Home Guard, that means, the Home-Guard/ Non-Commissioned officer who has rendered one year

Home Guard service will be given a maximum of one year age relaxation, who has rendered two year of service shall be given a total of two years age relaxation and so on as per the service period rendered by them.

(j) The Provisions of circulars issued from time to time in regard to age relaxation by the General Administrative department will also be applicable.

Note- The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (3) in rule 9 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(4) Age limit will not be relaxed in any other cases.

(5) The departmental candidates have to obtain prior permission from their Appointing Authority for applying in the selection process.

(6) In the cases of Government/Semi Government or Ex-servicemen, serving or ex-employees dismissed from service on disciplinary, disqualification or medical ground will be disqualified for this service.

EXPLANATION.-The advantage of relaxation in upper age limit will not be applicable to other volunteers or employees or teaching staff or Panchayat staff working on contract or on honorarium basis of government.

(7) **Physical Qualification**:-The candidate must possess the following minimum physical qualification, namely:-

(a) **Height-**

(i) 168 cm or more (for the male candidates of Scheduled Castes, Other Backward Classes and Unreserved categories);

(ii) 158 cm or more for Scheduled Tribes Category

(iii) 153 cm or more (Male candidates of Scheduled Tribes category of Revenue District of Bastar, South Bastar Dantewada, Narayanpur, Bijapur, North Bastar Kanker, Kondagaon, Sukma, Koriya, Sarguja, Jashpur, Surajpur and Balrampur)

(iv) 153 cm. or more (for the female candidates of all the categories)

(b) **Chest**:-

(i) 81 cm without expansion (for the male candidates of Other Backward Classes and Unreserved categories)

(ii) 76 cm without expansion (for the male candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates). There should be minimum 5 cm difference between expansion and without expansion of chest of the candidate and no relaxation will be given in this context. (Female candidates will be exempted from this physical qualification.)

Note: -(1) Relaxation may be given only by Director General of Police in special cases with regards to physical measurements under clause (a) and (b);

(2) The decision of Chairman of Recruitment will be final for measurement of height and chest.

(c) The candidate should not be physically challenged.

(d) The candidate should not have flat foot or knock-knee. Qualification regarding knock-knee and flat foot is mandatory for all the posts and all the candidates should be medically fit. The Competent Authority themselves will take decision of unfit candidates due to above said causes and may take advise from District Chief Medical Officer in case of need. Candidate should not have any disease related to eyes. The eye vision power should not be less than 6/9 for one eye and 6/12 for another eye without spectacles. The candidate should be able to distinguish between major colours.

(e) The candidate should not have speech defects such as stammering and stuttering. The candidate should have good hearing capacity and should not be deaf-mute.

(8) **Educational Qualifications.-** The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

10. **Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

11. **The decision of Committee in regard to the eligibility of candidate shall be final. -** The decision of the Selection Committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Committee shall not be allowed to appear in the examination/interview.

12. **Direct Recruitment through Competitive Examination.**-(1) The Recruitment program shall be carried out once in a year. The advertisement for Recruitment to the post shall be published by Police Headquarters. In case of any special Law and Order situation or any other problem in the State, the Police Headquarters may make necessary amendments in recruitment programme.

(2) The advertisement of post shall be done on the basis of actual vacancies as on the date of advertisement. The Information for the vacancy as on 30th of October will be called in November for the recruitment going to be done in January. For the purpose of easy circulation of information to the remotely located rural areas, the information of the vacancies shall be pasted on the notice board of office of Office of Superintendent of Police, District Collector, Tehsil and Block offices.

(3) The actual Transportation Allowances will be given only to Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes category candidates, as per the orders of Government.

(4) The candidates of Scheduled Tribes/Scheduled Castes and Other Backward Classes category who are declared eligible by Appointing Authority in view of maintaining efficiency in administration will be appointed in the reserved vacancies under the rule 13 for Scheduled Tribes/Scheduled Castes and Other Backward Classes.

13. **List of candidates, recommended by committee.**-(1) The Committee shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as may be determined by the Committee and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Committee for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to

women, ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Committee for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one year from the date of issue of such select list or till the commencement of the next selection procedure, whichever is earlier. During this period, the recruitment on sanction of new post or the posts fallen vacant due to promotion, retirement, death or cadre change, termination or due to other reasons will be fulfilled from this waiting list.

(4) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

14. **Appointment in Service from Selection List.-** (1) Final merit list for direct recruitment will be prepared on the basis of marks obtained in Physical Efficiency Test, Written Examination, Interview and Bonus Marks. The appointments will be made from the merit list within the availability of posts, but the appointments shall be considered only for those candidates, who have obtained a minimum of 30 percent marks in Physical Efficiency Test.

(2) The mutual seniority of the candidates obtaining equal marks in total will be determined on the basis of their date of birth. The candidates of higher age will be considered as senior. If both, the date of birth and the obtained marks are same then the seniority will be determined on the basis of registration number of the application.

(3) The validity of the Selection List shall be for one year from the date of issue of Selection List.

15. **Probation period and training.-** (1) Every person whose character certificate verification report is favorable and is recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years. If a candidate, does not appear at the place and date specified, name of such candidates can be removed from select list by the order of Appointment Authority and Competent Authority can issue order of proposal for appointment of such candidates whose name is just below in the merit list and who is found suitable for this proposal otherwise.

(2) Before reporting to the unit concerned, the candidate has to clear the medical examination, in which it is mandatory to be fully fit.

(3) The prescribed training will be given in specified training institutes and in other units after the appointment. The training duration may be increased or he may be discharged from the service in case of being unsuccessful in prescribed written, oral and practical examination and in case of inability of fulfilling the training, aims of criteria as prescribed from time to time.

16. **Appointment by Promotion.–** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:
Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994, (No 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes

Reservation) Act, 1994, (No 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

17. **Conditions of eligibility for promotion.**– (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The promotion shall be made in accordance with rule 4 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during the period of 1 year.

18. **Preparation of list of suitable candidate.** – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 17 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist of one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on seniority with due regard to merit and suitability in all respects.

(3) The name of employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

19. **Select List.** – (1) Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee, along with other documents received from it, if he feels that there is no need of making any changes then he shall approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the received from the committee. Then he shall inform the committee of the proposed changes and after taking into account the comments, if any of the committee, may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be valid until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 18 but its validity shall not be in any case extend beyond a total period of one year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee if it thinks fit may remove the name of such person from the select list.

20. **Appointment to the service from the select list.** – (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name in not included in the select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-**Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I
(See rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix (Level)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Head Constable (Telecom) Technician	151	Class-III	5
2.	Constable (Telecom)	551	Class-III	4
3.	Constable (Driver)	08	Class-III	4
4.	Constable (Tradesman)	30	Class-III	4
5.	Constable (Assistant)	01	Class-III	4
6.	Constable (GD)	15	Class-III	4
7	Constable (D/R)	05	Class-III	4

SCHEDULE-II
(See rule 7)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 7(1)(a)]	By promotion of substantive member of service [See rule 7(1)(b)]	By transfer/ deputation of persons from other services [See rule 7 (1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Head Constable (Telecom) Technician	151	50%	50%	-	
2.	Constable (Telecom)	551	100%	-	-	
3.	Constable (Driver)	08	100%	-	-	
4.	Constable (Trade man)	30	100%	-	-	
5.	Constable (Assistant)	01	100%	-	-	
6.	Constable (GD)	15	100%	-	-	
7.	Constable (D/R)	05	100%	-	-	

SCHEDULE - III
(See rule 9)

S. No.	Name of service/ post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Head Constable (Telecom) Technician	18 years	28 years	Should have passed 10+2 or Higher Secondary Examination (with Physics, Chemistry and Mathematics) alongwith two years diploma/certification in Radio and telecommunication/ Electronics, Television or Electronics from recognized institute of the State Government/Central Government OR Should have passed Grade-III Basic Radio Technician Training course from institutes recognized by the Central Government or State Police Institute.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Constable (Telecom)	18 years	28 years	Should have passed 10+2 or Higher Secondary Examination (with Physics, Chemistry, Mathematics) from Schools located in the State of Chhattisgarh.	
3.	Constable (Driver)	18 years	28 years	(1) Should have passed Xth class in (10+2) System or in Higher Secondary Examination or equivalent examination from Schools located in in the State of Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes Candidates should have passed Class 8th examination). (2) Should have valid driving license for Heavy motor Vehicle.	
4.	Constable (Trades man)	18 years	28 years	(1) Should have passed Xth class in (10+2) System or in Higher Secondary Examination or equivalent examination from Schools located in in the State of Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes Candidates should have passed Class 8th examination). (2) Should have proficiency in concerned Trade.	
5.	Constable (Assistant)	18 years	28 years	(1) Should have passed Xth class in (10+2) System or in Higher Secondary Examination or equivalent examination from Schools located in in the State of Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes Candidates should have passed Class 8th examination). (2) Should have proficiency in concerned Trade.	
6.	Constable (GD)	18 years	28 years	Should have passed Xth class in (10+2) System or in Higher Secondary Examination or equivalent examination from Schools located in in the State of Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes Candidates should have passed Class 8th examination).	
7.	Constable (D/R)	18 years	28 years	(1) Should have passed Xth class in (10+2) System or in Higher Secondary Examination or equivalent examination from Schools located in in the State of Chhattisgarh (Only Scheduled Tribes Candidates should have passed Class 8th examination). (2) Should have proficiency in concerned Trade.	

Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE – IV
(See rule 17)

S. No.	Name of service or posts from which promotion is to be made	Name of service or posts to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Constable (Telecom) Operator Male/Female	Head Constable (Telecom) Operator	1. Should have completed six years of Service from the date of appointment till 1st January of the considering year. 2. Should have passed 03 Months basic course from Police (Telecom) Training School. 3. Should have passed 06 Month Basic Radio Operating (BRO-III) course from Police (Telecom) Training School. 4. Should not have undergone more than two major punishments in his/her service period. 5. During the preceding 05 Years of service, minor punishment should not be more than reward.	1. Assistant Inspector General of Police (Telecom) -Chairman 2. Two other Gazetted Officers, one of whom should be from Scheduled Castes/Scheduled Tribes Category. (Nominated by A DG /IGP/DIG) -Members.	
2.	Constable (Telecom) Operator Male/Female	Head Constable (Telecom) Technician	1. Should have completed six years of Service from the date of appointment till 1st January of the considering year. 2. Should have passed 03 Months basic course from Police (Telecom) Training School. 3. Should have passed 06 Month Basic Radio Operating (BRO-III) course from Police (Telecom) Training School. 4. Should have passed 06 Month Basic Radio Technician (BRT-III) course from Police (Telecom) Training School. 5. Should not have undergone more than two major punishments in his/her service period. 6. During the preceding 05 Years of service, minor punishment should not be more than reward.	......do.....	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.